संख्या– 88/XXVIII–(3)–2005–11/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3

देहरादून: दिनांक: 29 मार्च, 2005

विषय: राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/एल0ए0डी0/22/2004/956 दिनांक 17.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में जनपद पौड़ी में संलग्नक में उल्लिखित स्थानों पर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु कुल रू0 1,70,16,000.00 (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख सोलह हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष में संलग्नानुसार कुल रू0 72,76,000–00 (रू0 बहत्तर लाख छियत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक,समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल तथा अपर परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों में जो नये शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11— आगणन जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

12— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जायगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13— निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की स्वीकृतिआवश्यक होगी ।

14— निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15— उक्त भवन के अधूरे /निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए तत्पश्चात परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर नये कार्य प्रारम्भ किया जाए।

16— बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी.जी.एस.एन.डी.की दरें अथवा टेंडर/कोटेशन विधयों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

17— धनराशि का आहरण /व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जायें ।

18— निर्माण कार्य जून 2006 से पूर्व पूर्ण कर लिये जायें ।

19— उक्त व्यय लेखानुदान वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-01-जिला योजना 04 -राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (विस्तार अंश)24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-15 के अनुसार लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 03- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन किया जायेगा ।

20— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 1423/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 22.03.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं0- 86/XXVIII-(3)-2005-11/2005 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।

4– जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल ।
6– अपर परियोजना प्रबन्धक,उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल,श्रीनगर
7– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल,पौड़ी
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
9– सेवा अनुभाग–2.
10– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)

संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0 88/XXVIII(3)2005-11/05 दिनांक 29/3/2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं0	ए0एलो0 चिकि0 का नाम	जनपद का नाम	निर्माण इकाई का नाम	लागत	वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	किनसुर	पौडी	उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम,उत्तरांचल	38.10	15.00
2	स्योली	पौडी	उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम,उत्तरांचल	36.05	15.00
3	डुनाव	पौडी	उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम,उत्तरांचल	33.68	15.00
4	जाख	पौडी	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल	31.33	15.00
5	गोलीखाल	पौडी	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम,उत्तरांचल	31.00	12.76
			योग-	170.16	72.76

(रू0 बहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश सं0-86/XXVIII (3)-2005-11/2005 दिनांक : 29/3/05 का संलग्नक ।

(वित्तीय वर्ष 2004-05)

नियंत्रक अधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून ।

अनुदान सं0-12

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्ल) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-चकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 91-जिला योजना 04-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनो का निर्माण (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य			(क) चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद होम्योपैथ तथा यूनानी निदेशालय भवन का निर्माण योजना में आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है। (ख) राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनो का निर्माण योजना के अन्तर्गत कम बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।
30000	-	5000	25000	7276	14776	22724	
योग 30000	-	5000	25000	7276	14776	22724	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

1470

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग - 2

संख्या- 1423/(A) वित्त अनु0-2/2005

देहरादून : दिनांक [illegible] 2005

पुनर्विनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

सं0-86/xxviii (3)-2005-11/2005 दिनांक तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वित्त अनुभाग-2
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)